न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर रामगढ़ (अलवर)
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/ कैम्प कोर्ट खिलौरा)

पीठासीन अधिकारी : श्री बाल कृष्ण तिवाड़ी आरएएस

मुकदमा नं0 3/27/16 निर्णय दिनांक : 12.06.2018

उनवान

1. धनीराम पुत्र हरिया जाति चमार निवासी नंगला बंजीरका तह0 रामगढ जिला अलवर।
.....प्रार्थी

बनाम

1. तहसीलदार कम लैण्ड होल्डर तहसील रामगढ जिला अलवर।
.....अप्रार्थी

(अन्तर्गत धारा 136 एलआरएक्ट)

निर्णय

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 136 एलआरएक्ट इस आशय का पेश किया है कि आराजी हाल खसरा नम्बर 886 रकबा 0.09, 887 रकबा 0.28 हैक्ट0 किता 2 रकबा 0.37 हैक्ट0 जिसके साबिक खसरा नम्बर सम्वत 2058 से पूर्व 551 रकबा 1 बीघा 9 बिस्वा थे जो वाके ग्राम खालसा नगर तहसील रामगढ जिला अलवर में स्थित आराजी है। उक्त आराजी का 2/3 हिस्सा प्रार्थना पत्र में विवादित है। उक्त विवादित आराजी पूर्व में एक बडा राजस्व ग्राम खिलौरा में थी जिसमें से खालसा नगर बाद में अलग राजसव ग्राम बनाया गया है। साबिक खसरा नम्बर 551 रकबा 1 बीघा 9 बिस्वा पूर्व में मंगलराम, बत्तुराम, प्यारेलाल, फूलचन्द पुत्रांन खूबा 1/3 हिस्सा व हसमल पुत्र बोदन 1/3 हिस्सा, मंगतू पुत्र छुटना 1/3 हिस्सा के नाम खातेदारी में दर्ज रिकार्ड था जैसा कि जमाबन्दी सम्वत 2048 से साबित होता है। हसमल पुत्र बोदन के स्वर्गवास के पश्चात उसकी विरासत का इन्तकाल सं0 1107 दिनांक 10.04.1998 को उसके वारिसान रामस्वरूप पुत्र हसमल, तौफली बेवा हसमल, अंगूरी, मिश्री पुत्रीयान हसमल के नाम दर्ज होकर मंजूर हो गया। मिन प्रार्थी ने मंगलराम, बत्तूराम, प्यारेलाल, फूलचन्द पुत्रान खूबा व हसमल के वारिसान रामस्वरूप, तौफाली, अंगूरी, मिश्री से उनका 2/3 हिस्सा जर्ये रजिस्टर्ड बयनामा खरीद कर लिया व जिसका इन्तकाल सं0 1165 दिनांक 11.05.1999 को दर्ज व मंजूर हो गया व उक्त इन्तकाल का नोट जमाबन्दी सम्वत 2052 में लगा दिया गया व मिन प्रार्थी ने मौके पर उक्त आराजी पर कब्जा प्राप्त कर लिया जो आज दिन तक बदस्तूर जारी है। इसी दौरान बन्दोबस्त सम्वत 2058 का कार्य तहसील रामगढ में चल रहा था व बन्दोबस्त कर्मचारियों द्वारा मिन प्रार्थी के इन्तकाल सं0 1165 का अमल राजस्व रिकार्ड में नही किया व विक्रेताओं का नाम सहबन से राजस्व रिकार्ड में रह गया। मिन प्रार्थी द्वारा एक प्रार्थना पत्र बाबत लेने जमाबन्दी सम्वत 2052 तहसीलदार साहब रामगढ के यहां पेश किया जिस पर तहसीलदार

उप खण्ड अधिकारी, रामगढ

रामगढ द्वारा यह रिपोर्ट की गई कि प्रार्थी द्वारा चाहा गया रिकोर्ड जीर्ण शीर्ण अवस्था में है जो उपलब्ध कराया जाना सम्भव नही है। नकल प्रार्थना पत्र संलग्न है। हाल राजस्व रिकार्ड में इन्तकाल सं0 1165 का अमल राजस्व कर्मचारियो को करना चाहिए था किन्तु राजस्व कर्मचारियों ने उक्त इन्तकाल का अमल नही किया जिससे प्रार्थी को भारी परेशानी का सामना करना पड रहा है। इसलिए राजस्व रिकार्ड को दुरूस्त किया जाना न्यायहित में आवश्यक है।

अतः श्रीमान से निवेदन है कि प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर आराजी हाल खसरा नम्बर 886 रकबा 0.09, 887 रकबा 0.28 हैक्ट0 किता 2 रकबा 0.37 हैक्ट0 जो वाके ग्राम खालसा नगर तहसील रामगढ जिला अलवर में स्थित है के 2/3 हिस्से बाबत इन्तकाल सं0 1165 दिनांक 11.05.1999 का अमल राजस्व रिकार्ड में किया जाकर प्रार्थी का नाम बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज किया जावें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर्ड किया जाकर अप्रार्थी (पैरोकार सरकार) को जर्ये नोटिस तलब किया गया।

पत्रावली राजस्व लोक अदालत शिविर /कैम्प कोर्ट ग्राम पंचायत खिलौरा में दिनांक 12.06.2018 को पेश हुई। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया गया। बन्दोबस्त कर्मचारियों द्वारा प्रार्थी के इन्तकाल सं0 1165 का अमल राजस्व रिकार्ड में नही किया व विक्रेताओं का नाम सहबन से राजस्व रिकार्ड में रह गया। सहबन से हुई गलती को दुरूस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है।

प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजात के आधार पर प्रार्थना पत्र 136 एलआरएक्ट स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार रामगढ को आदेशित किया जाता है कि आराजी हाल खसरा नम्बर 886 रकबा 0.09, 887 रकबा 0.28 हैक्ट0 किता 2 रकबा 0.37 हैक्ट0 जो वाके ग्राम खालसा नगर तहसील रामगढ जिला अलवर में स्थित है के 2/3 हिस्से बाबत इन्तकाल सं0 1165 दिनांक 11.05.1999 का अमल ताहाल राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम बतौर खातेदार काश्तकार के दर्ज करना सुनिश्चित करें। तहसीलदार रामगढ को अहकाम जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय मेरे द्वारा हस्ताक्षरित व दिनांकित कर लोक अदालत ग्राम पंचायत खिलौरा में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
रामगढ (अलवर)

उप खण्ड अधिकारी, रामगढ़